

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-34/2017-104(आवंटन) कृ., पटना, दिनांक 28-11-2017

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना।

विषय :

केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना "प्रति बूंद अधिक फसल" अंतर्गत केन्द्रांश 2500.00 लाख रु० (पच्चीस करोड़ रु०) तथा राज्यांश 1666.67 लाख रु० (सोलह करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार रु०) कुल 4166.67 लाख रु० (एकतालीस करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र की लागत से योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹20,83,33,500 (बीस करोड़ तेरासी लाख तैंतीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-4238 दिनांक-01.11.2017 द्वारा केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना "प्रति बूंद अधिक फसल" अंतर्गत केन्द्रांश 2500.00 लाख रु० (पच्चीस करोड़ रु०) तथा राज्यांश 1666.67 लाख रु० (सोलह करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार रु०) कुल 4166.67 लाख रु० (एकतालीस करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र की लागत से योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹20,83,33,500 (बीस करोड़ तेरासी लाख तैंतीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹20,83,33,500 (बीस करोड़ तेरासी लाख तैंतीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र में से केन्द्रांश ₹10,37,50,000 (दस करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार रुपये) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0218-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-01-2401001090218, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347-विषयशीर्ष-0218.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹20,83,33,500 (बीस करोड़ तेरासी लाख तैंतीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र में से केन्द्रांश ₹2,00,00,000 (दो करोड़ रुपये) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0239- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-01-2401007890239, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347-विषयशीर्ष-0239.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उपरोक्त ₹20,83,33,500 (बीस करोड़ तेरासी लाख तैंतीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र में से केन्द्रांश ₹12,50,000 (बारह लाख पचास हजार रुपये) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0261- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-01-2401007960261, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347-विषयशीर्ष-0261.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. उपरोक्त ₹20,83,33,500 (बीस करोड़ तेरासी लाख तैंतीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र में से राज्यांश ₹6,91,66,500 (छः करोड़ एकानवे लाख छियासठ हजार पाँच सौ रुपये) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0318-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-01-2401001090318, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347-विषयशीर्ष-0318.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

सम

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-34/2017-

6. उपरोक्त ₹20,83,33,500 (बीस करोड़ तेरासी लाख तैंतीस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र में से राज्यांश ₹1,33,33,500 (एक करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार पाँच सौ रूपये) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0339-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-01-2401007890339, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347-विषयशीर्ष-0339.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. उपरोक्त ₹20,83,33,500 (बीस करोड़ तेरासी लाख तैंतीस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र में से राज्यांश ₹8,33,500 (आठ लाख तैंतीस हजार पाँच सौ रूपये) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0361-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-01-2401007960361, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347-विषयशीर्ष-0361.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

8. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक:-3002 वि. (2) दिनांक-26.04.2017 के आलोक में दी जा रही है।

9. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन



निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ., पटना, दिनांक 28-11-2017

ज्ञापांक : 104(आवंटन)

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले. एवं ह.) बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ., पटना, दिनांक 28-11-2017

ज्ञापांक 104(आवंटन)

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/प्रबंध निदेशक बिहार, राज्य बीज निगम/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/ सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/बीज, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी कृषि यांत्रिकरण कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन/प्रभारी पदाधिकारी आत्मा कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-34/2017-

ज्ञापांक - 104 (आवंटन)

/कृ. पटना, दिनांक 28-11-2017

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशिक्षण)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।